न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 217/2019

GCMS NO. : 2019/00256

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. निसार मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन 2. सदीक मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन 3. अफाक अहमद पुत्र जहूरूदीन जातियान– लौहार मुसलमान, निवासीगण– ग्राम मालपुरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली।		1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.19/11/2019

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 28/02/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा मालपूरिया पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण व अन्य खातेदारों की शामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 155/3 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 155/27 रकबा 03–00 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 07–16 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 11–00 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला व काश्त हैं एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादीगण का नाम तत्कालीन आर0आई0 पटवारी ने म्युटेशन पारित करते समय गांव की देशी बोलचाल की भाषा में नाम गलत इन्द्राज कर दिया, जबकि वादीगण के सही नाम क्रमशः गुदड़ खा के स्थान पर निसार मोहम्मद, सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान पर अफाक अहमद तथा इनके पिता के नाम जबरू खां के स्थान पर जहूरूदीन होना चाहिये था, लेकिन त्रुटि व भूलवश बोलचाल की भाषा में राजस्व रेकर्ड में नाम गलत इन्द्राज कर दिये, जबकि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात् आधारकार्ड, राशन कार्ड एवं भामाशाह कार्ड आदि में भी वादीगण का सही नाम निसार मोहम्मद, सदीक मोहम्मद, व अफाक अहमद पिसरान जहूरूदीन [illegible] तथा ग्राम पंचायत बिरोल के प्रमाण पत्र. के अनुसार भी इनके [illegible] नामों को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने बाबत् यह वादप[illegible] प्रतिवादी के श्रीमा[illegible] समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण का न[illegible] गलत हो जानें से [illegible] को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उपरोक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राजी में वादीगण के सरकारी दस्तावेजात् में सही नाम का इन्द्राज है परन्तु राजस्व र्ड में गलत नाम इन्द्राज हो जानें से उन्हें कृषि योजना एवं सरकारी योजनाओं का यदा लेनें में वादीगण को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इसलिये वादीगण राजस्व रेकर्ड में सही नाम का इन्द्राज किया जावें। जिस पर यह वादपत्र घोषणा विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादीगण के अन्य सरकारी स्तावेजात् में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम गलत द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा । इसलिये वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहनें से दिनांक 30.10. 019 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबन्दी में नाम के सही व रुस्त इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं क्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करनें का कहा तब वादीगण का यह वादपत्र बत् अपने नाम की दुरुस्ती कराने की घोषणा कराने के बाबत् बहक वादीगण विरूद्ध तिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण के अलावा अन्य हहिस्सेददार व खातेदार हैं परन्तुत उनकों पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योंकि दीगण को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के दीगण के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार ो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड ं इन्द्राज करनें से मना करने से आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होनें से उनकों बतौर तिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाया वाद दिनांक 30.10.2019 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपना नाम सही करानें हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रुप से इन्कार होनें पर बमुकाम मालपुरिया जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार राज तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जो सा0मि0 किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा में कथन किया है कि सरहद मौजा मालपूरिया के खसरा संख्या 155/3, 155/27, 126, 130 एवं 173 में गुदड़, सद्दीक, अफाक पि0 जबरू खां के नाम से राजस्व में दर्ज है। मौजा मालपूरिया के खसरा संख्या 155/3 में जरिये विरासत से गुदड़, सद्दीक, अफाक पि0 जबरू खां के नाम से दर्ज है जबकि खसरा संख्या 126, 130, 173, 155/27 में जरिये रजिस्ट्री बक्शीश दिनांक 21.09.1981 को हमीरखां ने गुदड़, सद्दीक, अफाक पि0 जबरू खां के नाम बख्शीश करवाई जो सही है। हस्तगत वाद में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त कागजात् यथा पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर के बने हुये।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध तहसीलदार जैतारण प्रस्तुत कर [illegible] किया कि वादीगण की ग्राम मालपुरिया तहसील जैतारण में स्थित [illegible] नम्बर 155/3 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 155/27 रकबा 0[illegible]-00 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 03-10 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 07-16 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 11-00 बीघा में वादीगण का नाम तत्कालीन आर. आई., पटवारी ने देशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बोलचाल की भाषा में प्रचलित नाम दर्ज कर दिए गये थे जो कि गलत है। जबकि वादीगण के सही नाम क्रमशः गुदड़ खां के स्थान पर निसार मोहम्मद, सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान अफाक अहमद तथा इनके पिता का नाम जबरू खां की जगह जहूरूदीन होना चाहिए था। वादीगण के सभी दस्तावेजात में इसी अनुरूप नाम दर्ज है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का नाम जरिए बक्शीश दर्ज हुआ था। अन्य दस्तावेजात् में वादीगण का नाम क्रमशः गुदड़ खां के स्थान पर निसार मोहम्मद, सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान अफाक अहमद तथा इनके पिता का नाम जबरू खां की जगह जहूरूदीन अंकित है।

3. वादीगण द्वारा साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत साक्ष्य वादी निसार मोहम्मद का शपथ पत्र पीडब्लु 1 में भी साक्ष्य में वादपत्र में अंकित कथनो का समर्थन किया तथा यह स्वीकार किया कि भू अभिलेख में दर्ज वादीगण एवं उनके पिता का नाम प्रचलित बोलचाल के नाम है जबकि वादीगण के सही एवं वास्तविक नाम अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है।

4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 व 2 वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी ग्रम मालपूरिया संवत् 2075 से 2078 में बतौर खातेदार गुदड खां, सदीक खां, अफाक खां पि0 जबरू खां दर्ज है। प्रदर्श 3 नामान्तरण पंजिका ग्राम मालपूरिया के मुताबिक खातेदार जबरू खां की फौतेदगी पर वारिसान् गुदड़ खां, अफाक खां, सदीक खां पि0 जबरू खां दर्ज किया गया। वही प्रदर्श 4 के अनुसार वादीगण के पिता जबरू खां के भाई हमीर खां द्वारा अपना हिस्सा गुदड़,सदीक, अफाक पि0 जबरू खां को बक्शीश किया गया। प्रदर्श 5 सरपंच ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जारी प्रमाण दिनांक 30.10.2019 के अनुसार वादीगण निसार मोहम्मद, सदीक मोहम्मद तथा अफाक अहमद पुत्र जहूरूदीन मालपुरिया के मूल निवासी है। जो व्यवसाय के सिलसिले में ग्राम खवासपुरा तहसील पिपाड़ में रहते है। खातेदारी में इनका नाम गलत दर्ज है। प्रदर्श 6ए निसार मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन का आधार कार्ड, प्रदर्श 7ए निसार मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन का नाम का जारी परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 8ए सदीक मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन का आधार कार्ड, प्रदर्श 9ए सदीक मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 10 ए व 11ए क्रमशः अफाक अहमद पुत्र जहूरूदीन का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड है। जिनमें वादीगण एवं इनके पिता का नाम इसी अनुरूप अंकित है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विभ्रम अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण एवं इनके पिता का नाम की प्रविष्टिया तत्कालीन स्थानीय बोलचाल एवं प्रचलन के अनुरूप भू अभिलेख में दर्ज की गई है। तथा वादीगण द्वारा शपथ पत्र पर यह उल्लेख किया है कि साथ ही उनके नाम से जारी अधिकृत पहचान पत्रो से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम गुदड़ खां के स्थान पर निसार मोहम्मद तथा सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान पर अफाक अहमद तथा इनके पिता का नाम जबरू खां की जगह जहूरूदीन है अतः वादपत्र अनुरूप स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। ग्राम–मालपुरिया , पटवार हल्का–बिरोल, तहसील–जैतारण में स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 155/3 रकबा 10–00 बीघा, खसरा नम्बर 155/27 रकबा 03–00 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 03–10 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 07–16 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 11–00 बीघा भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गुदड़ खां के स्थान पर निसार मोहम्मद, सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान पर अफाक अहमद तथा इनके पिता का नाम जबरू खां की जगह जहूरूदीन दुरूस्त किये जानें की घोषणा की जाती है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। इसी कदर खर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर क्रम संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

ईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीगण ::- बनाम -:: प्रतिवादीगण ::-

1.निसार मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन

2.सदीक मोहम्मद पुत्र जहूरूदीन

3.अफाक अहमद पुत्र जहूरूदीन

जातियान- लौहार मुसलमान,

निवासीगण- ग्राम मालपुरिया

तहसील-जैतारण, जिला-पाली।

1.तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 217/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि ग्राम-मालपुरिया , पटवार हल्का-बिरोल, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 155/3 रकबा 10-00 बीघा, खसरा नम्बर 155/27 रकबा 03-00 बीघा, खसरा नम्बर 126 रकबा 03-10 बीघा, खसरा नम्बर 130 रकबा 07-16 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 11-00 बीघा भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज गुदड़ खां के स्थान पर निसार मोहम्मद, सदीक के स्थान पर सदीक मोहम्मद व अफाक खां के स्थान अफाक अहमद तथा इनके पिता का नाम जबरू खां की जगह जहूरूदीन दुरुस्त किये जानें की घोषणा की जाती है, शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तदनुरुप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

आज तारीख 28/02/2022 को सरे बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के ईजलास जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील	02-00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	/	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	04-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर ... डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested